

Regd. No. CHD/0093/2015-2017



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 185-2016/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 16 नवम्बर, 2016
(25 कार्तिक, 1938 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं।	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं।	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का० आ० 54/पं०अ० 17/1887/घा० 5/2016, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 - नूंह को नया जिला बनाने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	511-512
भाग-IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

Price: Rs. 5.00

(lxxvi)

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 नवम्बर, 2016

संख्या का०आ० 54/पं०अ० 17/1887/धा० 5/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 30/पं०अ० 17/1887/धा० 5/2005, दिनांक 04 अप्रैल, 2005 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, गुड़गांव तथा फरीदाबाद जिलों की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा उनकी संख्या को बदलते हैं ताकि नूंह नामक नया जिला बनाया जा सके जिसमें फिरोजपुर झिरका, नूंह तथा हथीन उप-मण्डल शामिल होंगे।

केशनी आनन्द अरोड़ा,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्तियुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT****Notification**

The 16th November, 2016

No. S.O. 54/P.A. 17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with Section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), and in supersession of Haryana Government, Revenue Department, Notification No. S.O. 30/P.A. 17/1887/S.5/2005, dated the 4th April, 2005, the Governor of Haryana hereby varies the limits and alters the number of districts of Gurgaon and Faridabad so as to form a new district to be called Nuh comprising of the Sub-divisions of Ferozpur Jhirka, Nuh and Hathin.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial
Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.